न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली कैम्प सिरोही
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 26/2016

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
1 वचनसिंह पुत्र मालमसिंह जाति राजपूत निवासी भेव तहसील शिवगंज जिला सिरोही		1 आनन्द कुंवर पत्नी कानसिंह जाति राजपूत निवासी उथमण तहसील शिवगंज 2 मोहनकुंवर पत्नी भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी उथमण तहसील शिवगंज 3 भंवरसिंह पुत्र सुरसिंह जाति राजपूत निवासी उथमण तहसील शिवगंज 4 विक्रमसिंह पुत्र वेरसिंह जाति राजपूत निवासी उथमण तहसील शिवगंज 5 चतुर्भुज पुत्र शंकरलाल दवे जाति ब्राहम्ण निवासी उथमण तहसील शिवगंज 6 शांतिदेवी पत्नी त्रिकमाराम जाति घांची निवासी उथमण तहसील शिवगंज 7 दलपतसिंह पुत्र कानसिंह जाति राजपूत निवासी उथमण तहसील शिवगंज 8 राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार शिवगंज जिला सिरोही

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–
श्री नगेन्द्र मेडतीया, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
श्री अश्विन मरड़िया, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 7
सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट संख्या 8 की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांकः–29.6.1

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक जिलाधीश शिवगंज द्वारा राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 02/2016 वचनसिंह बनाम आनन्द कुंवर वगैरा में पारित आदेश

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

दिनांक 01.07.2016 के विरूद्ध पेश की। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलाण्ट द्वारा अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु रेस्पोडेन्ट्स की खातेदारी भूमि में से रास्ता प्रदान कराने का अनुतोष चाहा। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण को राजस्व लोक अदालत उथमण में रखा गया तथा अपीलाण्ट की अनुपस्थिति में जैर अपील आदेश के जरिये अपीलाण्ट का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जवाब प्रस्तुत कर भूमि के बेचान बाबत तथ्य अंकित किए। अपीलाण्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जवाबुल जवाब का अवसर ही प्रदान नहीं किया तथा न ही समुचित सुनवाई का अवसर दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट्स को अनुचित लाभ पहुँचाने की नियत से अपीलाण्ट की अनुपस्थिति में जैर अपील निर्णय पारित किया है, जो विधि विरूद्ध है। अतः अपील स्वीकार करावें एवं जैर अपील आदेश अपास्त कराते हुए प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित करावें।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आधारहीन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 09.05.2016 में अपीलाण्ट के हस्ताक्षर है। इस कारण अपीलाण्ट का यह कथन स्वीकार योग्य नहीं रहता कि उसे प्रकरण में हो रही कार्यवाही की जानकारी ही नहीं हो। अपीलाण्ट द्वारा अपनी खातेदारी भूमि में से कुछ भूमि का बेचान किया तथा अब भूमि में रास्ता नहीं होने बाबत कथन कह रहे है, तो पूर्व में उक्त भूमि में आवागमन कहां से करते थे। उक्त तथ्य को अपीलाण्ट द्वारा जाहिर ही नहीं किया, क्योंकि अपीलाण्ट के पास अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन का पर्याप्त मार्ग मौजूद था। जब भूमि का बेचान किया, तो रास्ते की भूमि को पृथक कर बेचान किया जाना था, जो नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष भू0अ0नि0 की जो रिपोर्ट प्रस्तुत हुई, उसमें भी अपीलाण्ट की भूमि में अवागमन के दो रास्ते दर्शाए है। इस प्रकार अपीलाण्ट का प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के आज्ञापक प्रावधानों के अनुकूल नहीं होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश के जरिये अपीलाण्ट का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं है। अतः अपील खारिज करावें। विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस के समर्थन में आर0आर0टी0 2012 (2) पेज 924 में प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्त का सहारा लिया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने बहस के प्रत्युत्तर में निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट के अधिवक्ता द्वारा यह बताया गया है कि जैर अपील आदेश अपीलाण्ट की उपस्थिति में हुआ है, यह तथ्य गलत है। दिनांक 01.07.2016 को पक्षकारान् की उपस्थिति ही दर्ज नहीं है। भू0अ0नि0 द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है, उसके तथ्य प्रकरण से भिन्न है, जो मौके से मेल ही नहीं होते है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकपक्षीय रूप से विधि विरूद्ध आदेश पारित किया गया है, जो खारिज योग्य है। विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा जो न्यायिक सिद्धान्त प्रस्तुत किया है, वो इस प्रकरण पर चस्पा ही नहीं होता है। अतः अपील स्वीकार करावे।

बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष बतौर प्रार्थी एक प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी भूमि ग्राम उथमण के खसरा नम्बर 4 की भूमि में आवागमन हेतु रेस्पोडेन्ट्स की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 7/2, 14, 15, 44 व 48/1 में से रास्ता प्रदान कराने का अनुतोष चाहा। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट्स/अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। इसके पश्चात पत्रावली दिनांक 01.07.2016 को लोक अदालत कैम्प उथमण में नियत की गई, जहां प्रार्थना पत्र की जांच भू0अ0निरीक्षंक उथमण से करवाई गई। जिसमें भू0अ0नि0 द्वारा मजमें आम में जांच कर रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उसी दिवस को प्रस्तुत की। जिसमें अपीलाण्ट की भूमि में आवागमन का मार्ग उपलब्ध होने के कारण प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के तहत पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज किया गया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के तहत खातेदारी जोत में पहुॅच का अभाव, आत्यांतिक आवश्यकता एवं सुविधाजनक उपयोग का अभाव सिद्ध होना आवश्यक है। इस धारा में "absolute necessary" एवं "absence of alternative means of access is proved" ही वह कसौटी है, जिस पर खरा उतरने पर ही नये रास्ते की कायम के आदेश दिये जाना युक्तियुक्त एवं न्यायसम्मत होंगे। इसका तात्पर्य यह है कि खातेदारी में पहुंचने के लिये कहीं कोई रास्ता उपलब्ध न होना। धारा 251ए सुविधाजनक रास्ते को कायम करने का प्रावधान नहीं करती है। हस्तगत प्रकरण में रास्ते का अभाव एवं वैकल्पिक मार्ग का अभाव सिद्ध नहीं हुआ है, जिसके कारण प्रकरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के आज्ञापक प्रावधानों की पूर्ति नहीं करता है। उक्त समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटी नहीं पाई जाती है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज की जाती है तथा सहायक जिलाधीश शिवगंज द्वारा राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 02/2016 वचनसिंह बनाम आनन्द कुंवर वगैरा में पारित आदेश दिनांक 01.07.2016 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रतिलिपी के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 29.6.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
कैम्प सिरोही